भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1856

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के अंतर्गत पथ विक्रेता

†1856. श्री अभिषेक बनर्जीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत चिह्नित, सर्वेक्षित और पंजीकृत किए गए और विक्रय प्रमाणपत्र पाने वाले पथ विक्रेताओं की शहरवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलवी) की शहरवार और राज्यवार संख्या कितनी है जहाँ नगर विक्रय समितियाँ (टीवीसी) गठित नहीं की गई हैं या वे वर्तमान में कार्यशील नहीं हैं;

(ग) पिछले पाँच वर्ष और वर्तमान वर्ष में नगर पालिका, पुलिस या विकास प्राधिकरणों द्वारा हटाए गए, अन्य स्थान पर भेजे गए, बेदखल किए गए या सामान जब्त किए गए विक्रेताओं की शहरवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) विक्रेता सर्वेक्षण पूरा होने, विक्रय योजना तैयार होने, विक्रय जोन अधिसूचित होने या टीवीसी द्वारा दावों का निपटान होने से पहले की गई ऐसी कार्रवाइयों की संख्या कितनी है; और

(ङ) वेदखली, सामान जब्त किए जाने, विक्रय प्रमाणपत्र न दिये जाने या विक्रय का स्थान आवंटित न किए जाने के बारे में पथ विक्रेताओं की ओर से प्राप्त हुई शिकायतों की शहरवार और राज्यवार संख्या कितनी है और उन पर की गई कार्रवाई क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करने और पथ विक्रय संबंधी कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया है। हालांकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियम, योजना, उप-नियम आदि बनाकर इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय समय-समय पर आधिकारिक पत्रों के माध्यम से और समीक्षा बैठकों और नियमित चर्चाओं के दौरान आवधिक रूप से सर्वेक्षण करने, टाउन वेंडिंग समितियों के गठन आदि सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करता है। 12.7.2026 तक, कुल 76.95 लाख पथ विक्रेताओं ने विक्रय प्रमाण-पत्र/अनुशंसा पत्र के आधार पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत 18475.06 करोड़ रुपये की धनराशि का ऋण लिया है।
